

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 2293-97-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19 मार्च 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१३

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१३

[दिनांक १८ मार्च, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १९ मार्च, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१३ है.

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के लिये राज्य की संचित निधि में से ३२,९७,४५,२४,६०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन हजार दो सौ सनतानबे करोड़ पैंतालीस लाख चौबीस हजार छः सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व ५,००,००,०००	५,००,००,०००	१०,००,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व १,००,००,०००	०	१,००,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व १४,६९,००,२००	०	१४,६९,००,२००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ३०,००,०००	०	३०,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०५.	जेल	राजस्व	१३,३९,७७,०००	०	१३,३९,७७,०००
०६.	वित्त	पूंजी	५,५०,०००	०	५,५०,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	५,००,१००	०	५,००,१००
१०.	वन	राजस्व	३०,२०,००,१००	८२,३९,६८,९००	१,१२,५९,६९,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१२,००,००,०००	०	१२,००,००,०००
		पूंजी	७३,६०,९५,८००	०	७३,६०,९५,८००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	४,५८,६२,००,०००	०	४,५८,६२,००,०००
		पूंजी	५,५०,००,००,०००	०	५,५०,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	१२,४४,१७,०००	०	१२,४४,१७,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२३,८३,६७,०००	०	२३,८३,६७,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	२२,५०,०००	०	२२,५०,०००
१८.	श्रम	राजस्व	६,००,२६,०००	०	६,००,२६,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	९,६८,५०,१००	०	९,६८,५०,१००
		पूंजी	२,५५,००,०००	०	२,५५,००,०००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	राजस्व	५२,०९,०००	०	५२,०९,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२३.	जल संसाधन	पूंजी	२,७३,८७,००,१००	०	२,७३,८७,००,१००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	८०,००,००,०००	०	८०,००,००,०००
		पूंजी	१,७००	१,००,००,००,०००	१,००,००,०१,७००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	१००	०	१००
२६.	संस्कृति	राजस्व	७,९३,२५,०००	०	७,९३,२५,०००
		पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	३,८३,३०,०००	०	३,८३,३०,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	७,०५,००,०००	१२,७५,०००	७,१७,७५,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२,१९,६०,१००	२०,५०,१००	२,४०,१०,२००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	२,८३,०४,०००	०	२,८३,०४,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	४०,०८,००,१००	०	४०,०८,००,१००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	११,००,०००	०	११,००,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	७,००,००,०००	०	७,००,००,०००
३७.	पर्यटन	पूंजी	१३,४८,९५,०००	०	१३,४८,९५,०००
३८.	आयुष	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२,१५,९८,५०,०००	०	२,१५,९८,५०,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व ३६,२१,१०० पूंजी २३,७६,२५,०००	० ३६,२१,१०० ० २३,७६,२५,०००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी १००	० १००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व ३,०५,७३,०००	० ३,०५,७३,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व ८,७१,००,०००	० ८,७१,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी ५०,००,०७,९००	० ५०,००,०७,९००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व २९,५४,८०,०००	० २९,५४,८०,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी २,४५,००,००,०००	० २,४५,००,००,०००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व १०,००,००,०००	० १०,००,००,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ३१,६४,४७,०००	० ३१,६४,४७,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व १०,००,००,०००	० १०,००,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व ७५,११,००,०००	० ७५,११,००,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व १,२६,६०,०००	० १,२६,६०,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व ७,१४,८८,०००	० ७,१४,८८,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व ५,१३,३१,००० पूंजी २५,९९,०००	० ५,१३,३१,००० ० २५,९९,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व ७५,००,००,००० पूंजी ९,००,००,०००	० ७५,००,००,००० ० ९,००,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व १०,००,०००	० १०,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व २३,७३,००,०००	० २३,७३,००,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ३,८५,६०,५३,००० पूंजी १२,२७,५१,०००	० ३,८५,६०,५३,००० ० १२,२७,५१,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व १,४२,९६,६१,१००	० १,४२,९६,६१,१००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व ५८,४८,२५,००० पूंजी ६,००,००,०००	० ५८,४८,२५,००० ० ६,००,००,०००
योग :		राजस्व १८,४८,८५,०५,००० पूंजी १२,६०,८७,२५,६००	८७,७२,९४,००० १९,३६,५७,९९,००० १,००,००,००,००० १३,६०,८७,२५,६००
वृहद योग :		३१,०९,७२,३०,६००	१,८७,७२,९४,००० ३२,९७,४५,२४,६००

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 2294-97-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 14 OF 2013.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2013.

[Received the assent of the Governor on the 18th March, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th March, 2013.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2012-2013.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Fourth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2013. Short title.
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Three thousand two hundred ninety seven crore fourty five lakh twenty four thousand six hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2012-2013 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of Rs. 32,97,45,24,600 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2012-2013.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) Number of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
01.	General Administration & Lok Seva Prabandhan	Revenue	5,00,00,000	5,00,00,000	10,00,00,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
03.	Police	Revenue	14,69,00,200	0	14,69,00,200
04.	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	30,00,000	0	30,00,000
05.	Jail	Revenue	13,39,77,000	0	13,39,77,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
06.	Finance	Capital	5,50,000	0	5,50,000
07.	Commercial Tax	Revenue	15,00,00,000	0	15,00,00,000
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	5,00,100	0	5,00,100
10.	Forest	Revenue	30,20,00,100	82,39,68,900	1,12,59,69,000
11.	Commerce Industry and Employment	Revenue	12,00,00,000	0	12,00,00,000
		Capital	73,60,95,800	0	73,60,95,800
12.	Energy	Revenue	4,58,62,00,000	0	4,58,62,00,000
		Capital	5,50,00,00,000	0	5,50,00,00,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
14.	Animal Husbandry	Revenue	12,44,17,000	0	12,44,17,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub Plan	Revenue	23,83,67,000	0	23,83,67,000
17.	Co-operation	Revenue	22,50,000	0	22,50,000
18.	Labour	Revenue	6,00,26,000	0	6,00,26,000
21.	Housing and Environment	Revenue	9,68,50,100	0	9,68,50,100
		Capital	2,55,00,000	0	2,55,00,000
22.	Urban Administration and Development-Urban Bodies	Revenue	52,09,000	0	52,09,000
23.	Water Resources Department	Capital	2,73,87,00,100	0	2,73,87,00,100

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
24. Public Works—Roads and Bridges	Revenue	80,00,00,000	0	80,00,00,000
	Capital	1,700	1,00,00,00,000	1,00,00,01,700
25. Mineral Resources	Revenue	100	0	100
26. Culture	Revenue	7,93,25,000	0	7,93,25,000
	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
27. School Education (Primary Education)	Revenue	3,83,30,000	0	3,83,30,000
28. State Legislature	Revenue	7,05,00,000	12,75,000	7,17,75,000
29. Law and Legislative Affairs	Revenue	2,19,60,100	20,50,100	2,40,10,200
30. Rural Development	Revenue	2,83,04,000	0	2,83,04,000
32. Public Relations	Revenue	40,08,00,100	0	40,08,00,100
33. Tribal Welfare	Revenue	11,00,000	0	11,00,000
34. Social Justice	Revenue	7,00,00,000	0	7,00,00,000
37. Tourism	Capital	13,48,95,000	0	13,48,95,000
38. Ayoush	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
39. Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	2,15,98,50,000	0	2,15,98,50,000
41. Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	36,21,100	0	36,21,100
	Capital	23,76,25,000	0	23,76,25,000
42. Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	100	0	100

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	3,05,73,000	0	3,05,73,000
44.	Higher Education	Revenue	8,71,00,000	0	8,71,00,000
45.	Minor Irrigation Works	Capital	50,00,07,900	0	50,00,07,900
47.	Technical Education and Skill Development	Revenue	29,54,80,000	0	29,54,80,000
48.	Narmada Valley Development	Capital	2,45,00,00,000	0	2,45,00,00,000
51.	Religious Trusts and Endowments	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
52.	Financial assistance to Tribal Area Sub-Plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	31,64,47,000	0	31,64,47,000
54.	Agricultural Research and Education	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
55.	Women and Child Development	Revenue	75,11,00,000	0	75,11,00,000
56.	Rural Industry	Revenue	1,26,60,000	0	1,26,60,000
63.	Minority Welfare	Revenue	7,14,88,000	0	7,14,88,000
64.	Scheduled Castes Sub-Plan	Revenue	5,13,31,000	0	5,13,31,000
		Capital	25,99,000	0	25,99,000
66.	Welfare of Backward Classes	Revenue	75,00,00,000	0	75,00,00,000
		Capital	9,00,00,000	0	9,00,00,000
72.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	10,00,000	0	10,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
73.	Medical Education Department	Revenue	23,73,00,000	0	23,73,00,000
74.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	3,85,60,53,000	0	3,85,60,53,000
		Capital	12,27,51,000	0	12,27,51,000
75.	Financial assistance to Urban Bodies	Revenue	1,42,96,61,100	0	1,42,96,61,100
77.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	58,48,25,000	0	58,48,25,000
		Capital	6,00,00,000	0	6,00,00,000
	Total :	Revenue ..	18,48,85,05,000	87,72,94,000	19,36,57,99,000
		Capital ..	12,60,87,25,600	1,00,00,00,000	13,60,87,25,600
	Grand Total ..		31,09,72,30,600	1,87,72,94,000	32,97,45,24,600